भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2819

जिसका उत्तर गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

वाणिज्यिक विवादों के लिए मुकदमा- पूर्व मध्यस्थता

2819. श्री जोस के. मणि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नए मुख्य न्यायाधीश ने वाणिज्यिक विवादों के लिए मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य बनाने के लिए कहा है ;

(ख) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह भी सलाह दी गई है कि मध्यस्थता/समझौते को डिक्री का स्थान देने के लिए संसद को एक विधान को अधिनियमित करने पर विचार करना चाहिए;

(ग) क्या लोक अदालत अधिनियम में पहले से ही एक उपबंध है जिसमें लोक अदालत में किए गए समझौते को न्यायालय की डिक्री की ही भांति लागू किया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : राजस्थान उच्च न्यायालय के नये भवन के उद्घाटन के अवसर पर, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा था, कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, विशेषकर मुकदमें-पूर्व मध्यस्थता के उपयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है।

(ख) : तारीख 14.11.2019 के इकोनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने यह महसूस किया है कि मध्यस्थता को डिक्री का स्थान देने के लिए संसद को एक विधान को अधिनियमित करने का विचार करना चाहिए।

(ग) : जी, हां।

(घ) : विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 (1) अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा।

****